भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2707** जिसका उत्तर

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (20 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाना है

'सीफेरर-फर्स्ट पहल एवं वास्तविक समय निगरानी (रियल-टाइम ट्रैकिंग)

2707 #श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'सीफेरर-फर्स्ट' पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किन विशिष्ट समुद्री क्षेत्रों को कवर करती है;

(ख) क्या सरकार ने संकटग्रस्त क्षेत्रों से गुजरने वाले भारतीय नाविकों के पल-पल की जानकारी रखने के लिए किसी वास्तविक समय निगरानी प्रणाली को विकसित किया है; और

(ग) क्या यह निगरानी प्रणाली विदेशों में पंजीकृत पोतों पर तैनात भारतीय नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होगी?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग) सरकार, भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी और निकटवर्ती जलक्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी तनाव में वृद्धि देखते हुए, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने एक व्यापक और ग्रेडेड 'सी फेयरर-फर्स्ट' रूपरेखा स्थापित किया है। इसके भाग के रूप में, उक्त क्षेत्र में प्रचालनरत जलयानों एवं भारतीय ध्वजांकित और विदेशी ध्वजांकित दोनों जलयानों में कार्यरत भारतीय नाविकों के लिए एक रियल-टाइम रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित और परिचालनरत है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उपायों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

भारतीय नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एडवाइजरी:

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय द्वारा कई एडवाइजरी जारी किए गए हैं, जो डीजीएस के दिनांक 10.04.2024 के परिपत्र सं. 2024 का 08 के तहत स्थापित स्थायी समुद्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर के साथ प्रचालित होती हैं और 24-घंटे नियंत्रण कक्ष, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय के तहत डीजी संचार केंद्र के माध्यम से निरंतर रियल-टाइम मॉनिटरिंग, तथा हर 24 घंटे में एक 'स्थिति रिपोर्ट' जारी किए जाने से समर्थित हैं। एडवाइजरी संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. दिनांक 14.01.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 01 – विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास, तेहरान के एडवाइजरी के अनुसरण में जारी किया गया, जिसमें सभी भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) कंपनियों तथा पोत परिवहन कंपनियों को अगले आदेशों तक ईरान में भारतीय नाविकों को तैनात न करने की सलाह दी गई है, तथा ईरानी पत्तनों पर जाने वाले या होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जलयानों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
ii. दिनांक 28.02.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 08 – इसमें लोइटरिंग म्यूनिशंस, मानवरहित सतही जलयानों और इसी तरह के खतरों को कवर करने वाले व्यापक पोत - तट सुरक्षा ड्रिल, पारगमन से पहले पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण, स्वामियों, प्रचालकों और चार्टरों द्वारा यात्रा-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन, पोत सुरक्षा योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन, तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवरोधन, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप या जीएनएसएस व्यवधान की तत्काल डीजी संचार केंद्र को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है।
iii. दिनांक 28.02.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 09 - ईरान में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल एडवाइजरी, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो, सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने की आवश्यकता और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
iv. दिनांक 07.04.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 21 - ईरान में तट पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास प्रचालनरत जलयानों पर भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें उन्हें अत्यधिक सतर्कता बरतने, अनावश्यक आवाजाही से बचने, तेहरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने और कंपनी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने और आवश्यकतानुसार सहायता के लिए डीजीएस आपातकालीन सहायता चैनल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए।
v. दिनांक 13.06.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 31 - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा तनाव को देखते हुए भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराया गया है, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों

को अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने (सहमति से आपातकालीन क्रू परिवर्तन को छोड़कर), मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और सत्यापित सुरक्षा जानकारी का प्रसार करने का निर्देश दिया गया है

vi. दिनांक 26.06.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 33 – स्थिति में सुधार होने पर जारी किया गया, जिसने पिछले प्रतिबंध का अधिक्रमण किया और सावधानी तथा लागू तटीय-राज्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के अध्यधीन सामान्य प्रचालन की अनुमति दी; तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ), यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ), एमआईसीए सेंटर और तटीय राज्यों को शामिल करते हुए एक समन्वित निकासी तंत्र का प्रावधान किया।

उक्त क्षेत्र में प्रचालन करने वाले जलयानों और नाविकों के लिए रियल-टाइम रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग तंत्र का विवरण:

i. दिनांक 01.07.2026 को शुरू किया गया ई-नाविक पोर्टल, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, जिसमें समर्पित 24x7 समुद्री दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल शामिल हैं। यह समुद्रीय दुर्घटनाओं, सुरक्षा घटनाओं और संकट की स्थितियों की डिजिटल रिपोर्टिंग, संबंधित प्राधिकरणों को घटना रिपोर्टों की स्वचालित रूटिंग, तथा प्रतिक्रिया उपायों और मामलों की प्रगति की रियल-टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।

ii. डीजीएस परिपत्र सं. 2024 का 08 के तहत एक ऑनलाइन जलयान रिपोर्टिंग फॉर्म शुरू किया गया है। इसके माध्यम से फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और निकटवर्ती जलक्षेत्रों से गुजरने वाले सभी जलयान अपने विवरण प्रस्तुत करते हैं, इससे एक व्यापक और अद्यतन जलयान डेटाबेस बनाकर रखा जाता है, जो ट्रैकिंग और समन्वय को सुगम बनाता है और किसी भी घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है।

iii. डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 08 के तहत कंपनी सुरक्षा अधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह कर्मी दल की सूची के साथ-साथ जलयान का पूरा विवरण डीजी संचार केंद्र को उपलब्ध कराए।

iv. भारतीय नौसेना, सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) और अन्य सक्षम प्राधिकरणों के साथ समन्वय से, डीजी संचार केंद्र के माध्यम से निरंतर रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, जहां चौबीसों घंटे अधिकारी तैनात होते है।

v. हर 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट संकलित और जारी की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस क्षेत्र में जलयान-वार स्थिति और प्रत्येक जलयान पर सवार भारतीय नाविकों की संख्या का रिकॉर्ड रखती है।

*****